

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>डॉ राजेन्द्रसिंह भाटी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 232 / 2019</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>18.12.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ. राजेन्द्रसिंह भाटी पुत्र फतेहसिंह पता भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, सरदारशहर, जिला चूरू (राज.) ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.10.2019 में उसके द्वारा (1) इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पुनः खसरा संख्या 392/10, ग्राम अजीतगढ तहसील सेखाला जिला जोधपुर में पेट्रोल पम्प स्थापना के नवीन रूप से अनापति प्रमाण पत्र पेट्रोलियम अधिनियम, 2002 की धारा 144 के तहत जारी करने के लिए आपके कार्यालय के द्वारा ए- अग्निशमन विभाग को अनापति प्रमाण पत्र हेतु प्रेषित पत्र की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

